राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(07)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 173/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **प्रतापगढ़** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 17909154 दिनांक 19.09.2025 के आधार पर सा.नि.वि. खण्ड तृतीय, प्रतापगढ़ तह. व ब्लॉक छोटीसादडी के 38 कार्य हेतु राशि रूपये 65.99 लाख **कुल 38 कार्यों हेतु राशि रूपयें 65.99 लाख (अक्षरे रूपये पेंसठ लाख निन्यानवें हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे सड़कें जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.27 16:10:57 IST
Reason: Approved

10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

106– खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)

[01]– [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]

21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)

(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमन्त्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।
12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
13. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
14. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
15. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।
16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.27 16:10:57 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **प्रतापगढ़** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, प्रतापगढ़।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.27 16:10:57 IST
Reason: Approved

7

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता), प्रतापगढ़ राजस्थान

EMAIL ;- dm-pra-rj@nic.in दुरभाषनम्बर :— 01478—222233

क्रमांकः सहा./बाढ़/2025—26/2077-88 दिनांक :— 29/10/2025

—: प्रशासनिक स्वीकृति :—

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 173/2025—26 पत्रांक एफ.8(18)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ-18479801, जयपुर, दिनांक 27.10.2025 द्वारा मानसून वर्ष 2025 में बाढ़/अतिवृष्टि से अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड तृतीय प्रतापगढ़ ब्लाक छोटीसादड़ी के 38 सड़क मरम्मत कार्यो की तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि रूपये 65.99 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में वर्णित प्रावधानो के अनुसार एवं आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(18)आ.प्र. एवं सहा. /बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ-18479801, जयपुर, दिनांक 27.10.2025 की अनुपालना में निम्न कार्यो की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

सड़क मरम्मत कार्य

कार्यकारी अभिकरण :—अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ खण्ड तृतीय (ब्लॉक छोटीसादड़ी)

क्र.स.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति बांध/नहर/सड़क का नाम	किया जाने वाला कार्य	तत्काल मरम्मत हेतु राशि (लाखो में)
1	ए/आर धोलापानी पीलीखेड़ा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	9.60
2	छोटीसादड़ी अचलपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.90
3	ए/आर चान्दोली	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.60
4	ए/आर गागरोल	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	2.40
5	ए/आर अचारी	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.60
6	बिलिया से देवली	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	2.70
7	ए/आर बम्बोरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.20
8	ए/आर बरखेडा रेवड़ा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	2.10
9	भैरवी से करणपुर कला	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	2.94
10	ए/आर अखेपुर	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.90
11	पीथलवाड़ी कला से हरीपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	3.60
12	पीथलवाड़ी से सालेड़ा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.44
13	बरवाड़ा देवल से लालपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.80
14	एसएच—15 किमी 99 से गजपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	3.12
15	ईटो का तालाब से हरमारा की रेल	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	3.66
16	बम्बोरी से गंगेशवर महादेव वाया रघुनाथपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.47
17	ए/आर बरेखन	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.02
18	ए/आर बसेरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.92
19	ए/आर हडमतिया कुण्डाल से छोटीसादड़ी	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.38
20	ए/आर बरेखेडा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.90
21	जलोदिया केलुखेडा से रेवड़ा महादेव	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	2.16
22	कारूण्डा से चाहखेडी	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	3.00
23	भॅवरमाता पीथलवाड़ी रोड से सरवानिया किमी 0/0 1/100	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.66
24	छोटीसादड़ी गणेशपुरा से एकलिंगपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.60
25	मानपुरा से मालीखेडा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.96
26	रम्भावली से जोधपुरिया	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.96
27	करजु से बड़ीसादड़ी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.80
28	ए/आर एनएच—113 से चण्डीमाता मन्दिर	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.90
29	कारूण्डा से कारूण्डा चौकी	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.80

RajKaj Ref No.: 18500525
eSign DSC

30	करणपुर मोड से बोरखेडा रतीचन्दजी का खेडा तक	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.80
31	बागदरी से बसेडी	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.60
32	हरीपुरा से मोतीपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.20
33	खेरमालिया से जलोदिया केलुखेडा मध्यप्रदेश सीमा तक	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.90
34	बरखेडा से रम्भावली	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.20
35	रावतपुरा से साठोला	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	0.60
36	राजपुरा से अखेपुर	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.20
37	सुकड़ से पीथलवाडीकला	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.20
38	मानपुरा जागीर से रूपपुरा वाया हरीपुरा	तात्कालिक मरम्मत कार्य।	1.20
	कुल योग		**65.99**

(अक्षरे रूपये पैंसठ लाख नन्यानवे हजार मात्र)

नोट :– उक्त कार्यो के तत्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं:–

1. राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/लोक निर्माण लेखा नियमों तथा सहायता विभाग से समय समय पर जारी दिशा निर्देशो के अनुसार किया जावें एवं समस्त प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत रात्य आपदा मोचन निधि से देय नहीं हैं, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पूर्ण सुनिश्चित कर लिया जावे।
3. उक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मय तखमीना दो प्रति में इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवावे ताकि ऑनलाईन बजट मांग की जाकर बाद बजट प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।
4. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के पत्र RAJKAJ 16877134 जयपुर दिनांक 30.07.2025 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं पत्र क्रमांक एफ.8(18)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ-18479801, जयपुर, दिनांक 27.10.2025 में वर्णित शर्तो की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
5. इस राशि का उपयोग आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में प्रदत्त निर्देशानुसार बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़को की तात्कालिक मरम्मत के लिये ही किया जावेगा।
6. यह स्वीकृति आपद प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर से बजट प्राप्त होने के अद्यधीन होगी।
7. राशि का व्यय सी.आर.एफ. के मानदण्डो के अन्तर्गत किया जावेगा।
8. इन कार्यो के लेखे महालेखाकार तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के निरीक्षण दलों को जॉच हेतु उपलब्ध कराने होगे।
9. बाद व्यय, समस्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र दो–दो प्रतियों में तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किया जावेगा।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गयी वर्षा की मात्रा उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारीयों से प्रमाणित करायी जावें एवं क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना हैं, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।

(डां. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर एवं नियंत्रक,
जिला आपदा प्राधिकरण, प्रतापगढ़

RajKaj Ref No.:
18500525
eSign DSC

क्रमांकः सहा./बाढ़/2025–26/2077-88 दिनांक :– 29/10/2025

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. जिला प्रमुख महोदय, प्रतापगढ़।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ।
6. उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी।
7. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रतापगढ।
8. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ खण्ड तृतीय ब्लाक छोटीसादड़ी।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
10. कोषाधिकारी प्रतापगढ़
11. आदेश पंजिका।

जिला कलक्टर एवं नियंत्रक,
जिला आपदा प्राधिकरण, प्रतापगढ

RajKaj Ref No.:
18500525
eSign DSC